सं. सीडीएन/80/2017-समन्वय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित माह अप्रैल, 2021 का मासिक सारांश

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माह अप्रैल, 2021 के मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

हस्ता./-
(रुपेश कुमार सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-2338 3881

संलग्नक: यथोपरि

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण

संलग्नकों सहित प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित की गई:

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन [श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक]
5. प्रधानमंत्री कार्यालय [श्री राजेंद्र कुमार, निदेशक]
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
7. प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
8. भारत सरकार के सभी सचिव
9. मंत्री, म.बा.वि. के निजी सचिव/राज्यमंत्री, म.बा.वि. के निजी सचिव
10. वरि. तक. निदेशक, एनआईसी, म.बा.वि. मंत्रालय को इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में माह अप्रैल 2021 की मासिक सारांश रिपोर्ट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माह अप्रैल, 2021 के कामकाज के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्न प्रकार है:

1. माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं:

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त मि. बैरी ओ'फेरेल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास से 1 अप्रैल, 2021 को मुलाकात की।

2. कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपाय:

2.1 कोविड महामारी के मौजूदा परिदृश्य के दौरान महिलाओं और बच्चों की स्थिति और जरूरतों के संदर्भ में सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में 30 अप्रैल, 2021 को एक वेब बैठक आयोजित की गई:

(i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के साथ

(ii) मिशन वात्सल्य और शक्ति के स्वयंसेवक समूहों के साथ

इन बैठकों के दौरान कोविड के दौरान महिलाओं और बच्चों की स्थिति और जरूरतों के संबंध में निम्नलिखित मामलों को शामिल किया गया:

क) डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, संरक्षण अधिकारियों, ओएससी, हेल्पलाइन्स आदि का संवेदीकरण और उन्मुखीकरण

ख) महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार द्वारा या सरकार के सहयोग से संचालित विभिन्न प्रकार के होम्स, आश्रयों, हॉस्टल्स आदि में आरंभिक और प्रतिक्रिया प्रबंध

ग) संस्थागत प्रबंधों जैसे जनऔषधि केंद्रों (महिलाओं के लिए सब्सिडीकृत सैनिटरी नैपकिन्स और चिकित्सा आपूर्ति करने वाले) आदि का संवेदीकरण और तैयारी

घ) विशेष परिस्थितियों का प्रबंधन जहां बच्चों को दोनों अभिभावकों और संरक्षक(कों) की कोविड संबंधी मौतों के कारण सरकार द्वारा देखभाल और संरक्षण की जरूरत हो

2.2 इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के प्रसार से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के कारण हिंसा से प्रभावित और आपदाग्रस्त महिलाओं की मदद करने के लिए वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन के

संचालन और विभिन्न कानूनों के तहत वैधानिक अधिकारियों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा, इस कोविड-19 अवधि में गर्भवती महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को आसान बनाने के लिए उपाय शुरू करने के लिए भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक एडवाइजरी जारी की गई।

2.3 म.बा.वि. मंत्रालय के संस्थानों जैसे वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी), स्वाधार गृहों, उज्ज्वला गृहों, कामकाजी महिला हॉस्टल्स (डब्ल्यूडब्ल्यूएच), बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) विशिष्टीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों (एसएए) आदि में कोविड-19 स्थिति की दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। इन संस्थानों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के कल्याण और संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रबंधों की मौजूदगी का आकलन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दैनिक/साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टें एकत्रित की जाती हैं।

2.4 माननीया मंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा साप्ताहिक आधार पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

2.5 **राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)** ने एक केवल संदेश व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर-9354954224 शुरू किया है जो देशभर में गर्भवती माताओं को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर समय कार्यशील है। यह पहले से ही कार्यशील ईमेल आईडी के अतिरिक्त है। आयोग में एक समर्पित टीम आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से संबंधित गर्भवती महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कार्यरत है। आयोग से ईमेल आईडी helpatncw@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। 29 अप्रैल, 2021 से 3 मई, 2021 को 12 बजे (अर्धरात्रि) तक कुल 170 शिकायतें प्राप्त की गईं; अस्पताल में बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आपातकालीन दवाइयां और भोजन प्राप्त करने सहित विभिन्न प्रकार की आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई गई। देश भर से मदद के अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है।

इस संबंध में, आयोग ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर चिकित्सा सहायता की जरूरतमंद गर्भवती माताओं को राहत पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, आयोग को सूचित करते हुए, का अनुरोध किया है।

3. मसौदा मानव दुर्व्यापार (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के साथ मसौदा कैबिनेट नोट दिनांक 06.04.2021 के का.ज्ञा. के माध्यम से सुझावों/टिप्पणियों के लिए हितधारक मंत्रालयों/ विभागों में परिचालित किया गया। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

4. निर्भया निधि:

सचिव (म.बा.वि.) की अध्यक्षता में अधिकारियों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) की बैठक 28.04.2021 को आयोजित की गई जिसें पहले से अनुमोदित परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति की समीक्षा करने के अलावा, समिति ने 2 प्रस्तावों- (i) विदेश स्थित भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव और (ii) बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहयोग करने के म.बा.वि. मंत्रालय के प्रस्ताव का आकलन किया है।

5. पोषण अभियान

पोषण संबंधित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाने और लाभार्थियों की पोषण स्थिति का पता लगाने के लिए, फील्ड पदाधिकारियों द्वारा अब तक 12.48 लाख आवेदन डाउनलोड किए गए हैं और 4.78 करोड़ लाभार्थी पोषण ट्रैकर नामक आईसीटी सक्षम प्लेटफार्म में पंजीकृत किए गए हैं।

6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

माह अप्रैल, 2021 के दौरान, पीएमएमवीवाई के तहत 3.01 लाख से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) पर 8.53 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए गए। 151.61 करोड़ रुपये से अधिक के मातृत्व लाभ संवितरित किए गए।

01.05.2021 तक, स्कीम के तहत 2.24 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया; 1.97 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभों का भुगतान किया गया; 5.94 करोड़ से अधिक आवेदन पीएमएमवीवाई-सीएएस पर दर्ज किए गए; 5.24 करोड़ से अधिक आवेदनों का भुगतान किया गया और 8567.26 करोड़ रुपये से अधिक के मातृत्व लाभों का संवितरण किया गया।

7. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन:

घरेलू हिंसा सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, पुलिस सुविधा, कानूनी परामर्श/सहायता, अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए कोविड लॉकडाउन अवधि सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 700 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यशील रहने की सूचना दी गई है। इसके अलावा, लॉकडाउन अवधि के दौरान हिंसा या कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन टेलीफोनिक सहायता प्रदान करने के लिए 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन कार्यशील हैं।

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन:

8.1 विभिन्न स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अंतर-संवाद और वार्ताओं के लिए नियमित आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया जा रहा है।

8.2 मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस के पूर्ण कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने की बचत हुई है। इसके अलावा, ई-मेल के माध्यम से पर्याप्त संख्या में अंतर-मंत्रालयी संचार किया जाता है।

8.3 हितधारकों द्वारा आसान पहुंच के लिए सभी नीतियां/कार्यक्रम/स्कीमें/अधिनियम/संस्वीकृति आदेश इत्यादि सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किए जाते हैं।

9. लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	माह के अंत (30.04.2021) में लंबित लोक शिकायतों की संख्या
423	106

*****